<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर</u>

<u>(1) प्रकरण संख्या : अपील/टीए/3855/2003/उदयपुर</u>

परथा पिता नवा नाई जाति नाई निवासी गोदाणा तहसील झाडोल जिला उदयपुर – मृतक **(जरिये कायममुकाम)**

1/1. प्रभूलाल पुत्र परथा
1/2. कालू पुत्र परथा
1/3. भंवरलाल पुत्र परथा **(जरिये कायममुकाम)**
1/3/1. देवीलाल पुत्र भंवरलाल
1/3/2. बंशीलाल पुत्र भंवरलाल
1/3/3. किशन पुत्र भंवरलाल
–समस्त जाति नाई निवासीगण गोदाना तहसील झाडौल जिला उदयपुर।

.....<u>अपीलार्थीगण</u>

<u>बनाम</u>

मूर्ति श्री चारभुजा वाके झाडौल जरिये सर्वराकार त्रिलोक कुमार पुत्र शांतिलाल शुक्ला निवासी झाडोल एवं प्रेमशंकर पिता बाबूलाल दवे रोडवाल निवासी झाडौल जिला उदयपुर।

.....<u>प्रत्यर्थी</u>

<u>(2) प्रकरण संख्या : अपील/टीए/3856/2003/उदयपुर</u>

1. भंवरलाल
2. भैंरूलाल
–पुत्रगण खेमा नाई निवासीगण गोदाना तहसील झाडौल जिला उदयपुर

.....<u>अपीलार्थीगण</u>

<u>बनाम</u>

1. मूर्ति श्री चारभुजा वाके झाडौल जरिये सर्वराकार त्रिलोक कुमार पुत्र शांतिलाल शुक्ला निवासी झाडोल एवं प्रेमशंकर पिता बाबूलाल दवे रोडवाल निवासी झाडौल जिला उदयपुर।
2. शंकरलाल पुत्र खेमा नाई
3. चम्पाबाई पुत्री खेमा नाई पत्नि बाबूलाल नाई
–दोनों निवासीगण गोदाना तहसील झाडौल जिला उदयपुर।

....<u>प्रत्यर्थी</u>

(3) प्रकरण संख्या : अपील/टीए/3857/2003/उदयपुर

डालू पुत्र रूपा नाई – मृतक **(जरिये कायममुकाम)**

1/1. प्रभूलाल पुत्र डालू
1/2. दाडमचंद पुत्र स्वर्गीय डालू
1/3. रमेश पुत्र स्वर्गीय डालू
1/4. सीता पत्नि मोतीलाल पुत्री डालू

–समस्त जाति नाई निवासीगण गोदाना तहसील झाडौल जिला उदयपुर।

.....**अपीलार्थीगण**

बनाम

मूर्ति श्री चारभुजा वाके झाडौल जरिये सर्वराकार त्रिलोक कुमार पुत्र शांतिलाल शुक्ला निवासी झाडोल एवं प्रेमशंकर पिता बाबूलाल दवे रोडवाल निवासी झाडौल जिला उदयपुर।

.....**प्रत्यर्थी**

(4) प्रकरण संख्या : अपील/टीए/3858/2003/उदयपुर

हीरालाल पुत्र कालू नाई – मृतक **(जरिये कायममुकाम)**

1/1. मु0 झमकूदेवी बेवा हीरलाल
1/2. हिम्मतराम पुत्र हीरालाल
1/3. मोहनलाल पुत्र हीरालाल
1/4. मांगीलाल पुत्र हीरालाल
1/5. भगवतीलाल पुत्र हीरालाल

–समस्त जाति नाई निवासीगण गोदाना तहसील झाडौल जिला उदयपुर।

.....**अपीलार्थीगण**

बनाम

मूर्ति श्री चारभुजा वाके झाडौल जरिये सर्वराकार त्रिलोक कुमार पुत्र शांतिलाल शुक्ला निवासी झाडोल एवं प्रेमशंकर पिता बाबूलाल दवे रोडवाल निवासी झाडौल जिला उदयपुर।

.....**प्रत्यर्थी**

खण्ड पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य

उपस्थितः–
श्री वाई.डी.शर्मा, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
श्री पी.एस.दशोरा, अधिवक्ता, प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांकः– 06–01–2020

यह चारों द्वितीय अपीलें अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा क्रमशः अपील सं. 112/2001, 113/2001, 116/2001 एवं अपील संख्या 111/2001 में पारित एक ही निर्णय दिनांक 11–06–2003 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. इन चारों प्रकरणों में एक ही विवाद बिन्दु होने तथा एक ही आक्षेपित निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत किए जाने के कारण इनका निस्तारण इस एक ही निर्णय द्वारा किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति प्रत्येक पत्रावली में संलग्न की जाए।

3. परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र में उल्लेखित कारणों को युक्तियुक्त कारण मानकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है। अतः चारों अपीलों का गुणावगुण पर निर्णय करना उचित समझते हैं।

4. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झाडोल के समक्ष प्रत्यर्थी/वादी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 180 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपीलार्थी के विरूद्ध ग्राम गोदाना तहसील झाडोल स्थित प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजियात के संबंध में प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र का अपीलार्थीगण ने अपना जवाब मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र व काउण्टर क्लेम के अनुसरण में विवाद्यक कायम कर प्रत्येक

विवाद्यक को पृथक–पृथक विरचित करते हुए आज्ञा दिनांक 19–02–2001 पारित करते हुए प्रत्यर्थी का आलोच्य प्रार्थना पत्र व अपीलार्थीगण का काउण्टर क्लेम भी साबित नहीं होना प्रकट करते हुए खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त एक ही निर्णय के विरूद्ध अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के समक्ष प्रत्यर्थी ने पृथक–पृथक अपीलें प्रस्तुत की, जो प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील संख्या 112/2001, 113/2001, 116/2001 एवं अपील संख्या 111/2001 संस्थित की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उक्त चारों अपीलों को एकजाई करते हुए आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 11–06–2001 द्वारा स्वीकार करते हुए उपखण्ड अधिकारी झाडोल द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19–02–2001 को खारिज कर अपीलार्थीगण का प्रतिवाद पत्र भी साबित नहीं होना प्रकट कर खारिज कर दिया। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उक्त निर्णय इस आशय के साथ पारित किया कि प्रत्यर्थी विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार होने के कारण विवादित भूमि का कब्जा पाने का अधिकारी है तथा तहसीलदार झाडोल को निर्देशित किया कि अपीलार्थीगण से विवादित भूमि का कब्जा लेकर पुनः मंदिर मूर्ति को कब्जा सुपुर्द करें। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11–06–2003 से व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने हस्तगत चारों अपीलें मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

5. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि के प्रावधानों के विपरीत है। उनका कहना है कि मूर्ति मंदिर उपकृषक लेकिन उसके द्वारा उपकृषक की शर्तो की पालना नहीं की गई है। अपीलार्थीगण की ओर से प्रत्यर्थी को प्रश्नगत रकबा किसी भी संविदा से काश्त पर देना साबित नहीं है तथा इसे वादी ने साबित नहीं कराया है। इस कारण जरिये धारा 180 के प्रार्थना पत्र आसामी को बेदखल नहीं किया जा सकता है। आगे बताया

कि धारा 183 के तहत दावा डिक्री करने के लिए या तो वादी द्वारा आदेश 6 नियम 17 सीपीसी के तहत वाद में संशोधन करने के बाद ही तथ्यों के आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाना चाहिए था। जिसका जवाब का मौका अपीलार्थीगण को मिलता एवं उसी अनुरूप तनकियां बनाई जाती व साक्ष्य लेकर मामले का निस्तारण हो सकता था। इसके अतिरिक्त बिना दावे में तरमीम कराये धारा 180 के तहत वाद को धारा 183 के तहत डिक्री नहीं किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि स्वयं वादी द्वारा अपीलार्थीगण को उपकृषक माना है तो उसे अतिक्रमी नहीं कहा जा सकता। प्रश्नगत रकबे पर अपीलार्थीगण को बेदखल करने के लिए वादी को जरिये धारा 183 के अन्तर्गत अलग से दावा पेश किया जाना चाहिए या इसी दावे में धारा 183 के अनुतोष की मांग करनी चाहिए थी। आगे कहा कि उनके द्वारा प्रस्तुत बदोबंस्त जमाबंदी सम्वत 2011 के अनुसार अपीलार्थीगण आसामी दर्ज है, इस प्रकार अपीलार्थीगण उपकृषक नहीं होकर भूमि का काश्तकार है। जबकि वादी सिर्फ लगान वसूल करने का अधिकार रखते है यानि उनको सिर्फ माफी का हक था एवं खडम का अधिकार अपीलार्थीगण को ही था। इस कारण माफी रिजम्पसन के तहत धारा 15 के तहत अपीलार्थीगण काश्तकार होने के कारण खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। इस प्रकार माफी रिजम्पसन के बाद लगान का हक राज्य सरकार में निहित हो गया। उनका यह भी कहना है कि अपीलार्थी वर्ष 1980 से पूर्व लगातार उक्त भूमि के आसामी की हैसियत से रेकार्ड में काश्तकात दर्ज है जिसे बंदोबस्त विभाग ने नये सेटलमेंट में बदलकर वादी को खातेदार तथा अपीलार्थीगण को उपकृषक दर्ज कर दिया, जबकि बंदोबस्त विभाग को खातेदारी परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं था। उनका तर्क है कि पूर्व में प्रकरण संख्या 8/92 में पारित निर्णयानुसार वादी कास्ट की राशि अदायगी के बाद ही दूसरा दावा लाने की अधिकारिता रखता था, जबकि वादी द्वारा उक्त कथन को साबित नहीं किया गया है। यह नहीं अपीलार्थीगण ने अपने जवाबदावे में इस तथ्य को प्रकट किया है कि प्रश्नगत रकबे का अपीलार्थीगण आसामी खडमदार था इसलिए उसे माफी रिजम्पसन के बाद व काश्तकार अधिनियम के प्रभावी होने पर भूमि के खातेदारी अधिकार हो गए व वादी का अधिकार माफी रिजम्पसन के बाद समाप्त हो गए। अर्थात लगान लेने का अधिकार मूर्ति का था वह

अधिकार राज्य सरकार में निहित हो गया। उक्त समस्त तथ्यात्मक स्थिति में प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय व डिक्री दोषपूर्ण होने के कारण निरस्त होने योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत अपील स्वीकार कर भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11-06-2003 को निरस्त करते हुए वादी/प्रत्यर्थी के वाद को भी खारिज करने का निवेदन किया।

7. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का घोर विरोध करते हुए आक्षेपित निर्णय को न्यायसंगत, तर्कसंगत तथा विधिसम्मत होना बताया है। उनका कहना है प्रश्नगत रकबा आज भी मंदिर माफी पूजनार्थ होकर चारभुजा की खातेदारी में दर्ज है तथा भूमि मंदिर की होने से राजस्व पुजारी द्वारा अदा किया जा रहा है व विपक्षी द्वारा काश्त की जा रही है। यहीं नहीं विपक्षी कभी भी इस भूमि के खडमदार नहीं रहे व न ही खडम का इन्द्राज राजस्व रेकार्ड में है तथा प्रतिवादी केवल उपकृषक रहा है। उन्होंने आगे कहना है कि वादी की माफी पूजनार्थ खातेदारी से प्रश्नगत रकबे पर उनकी ओर से विपक्षी द्वारा काश्त करवाई जा रही है जिसके एवज में पैदा होने वाली काश्त का आधा हिस्सा विपक्षी पाने के अधिकारी है। आगे बताया कि विचारण न्यायालय ने वादी के वाद को केवल मात्र तकनीकी आधार पर खारिज कर अनियमितता की है। सांराशतः विचारण न्यायालय को वादी के वाद को धारा 183 के तहत विचारण किया जाना चाहिए। राजस्व रेकार्ड जमाबंदी सम्वत 2045-2048 के अनुसार दावा दायरी के समय भूमि मंदिर मूर्ति चारभुजाजी अर्थात वादी खातेदार काश्तकार दर्ज था। अतः रेकार्डेड खातेदार को अपनी भूमि से अतिक्रमी को बेदखल करने का अधिकार है। उनका यह भी तर्क है कि सेटलमेंट की जमाबंदी सम्वत 2011 के अनुसार मालिक के कालम में मंदिर मूर्ति का नाम दर्ज है जबकि आसामी के कालम में वादी का नाम अंकित है तथा पुजारी के कालम में समस्त रोडवाल ब्राहमण झाडोल दर्ज है। यह भी कहा कि आसामी शब्द को खडमदार तथा खातेदार माना जाये, इस बाबत माननीय उच्चतर न्यायालयों ने महत्वूपर्ण निर्णयों में इस मत की व्याख्या की है जिसके अनुसार आसामी को खडमदार अथवा खातेदार

मानने के बाबत कोई उल्लेख नहीं है। यहीं नहीं आसामी का केवल मात्र अर्थ यह है कि मंदिर की ओर से जिस व्यक्ति के द्वारा काश्त की जाती है केवल उसका नाम है। उक्त तथ्यात्मक परिवेश में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है, जिनमें द्वितीय अपील के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत अपील को खारिज कर आक्षेपित निर्णय को यथावत बहाल रखे जाने का निवेदन किया। उन्होंने अपने तर्को के समर्थन में 1995 आरआरडी 418, 1984 आरआरडी 1, 2014 आरआरडी 337, 2018 आरबीजे 330, 2018 आरबीजे 699, 2018 आरआरटी 677 व 2019 आरआरटी 686 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किए।

8. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समग्र रेकार्ड का गहन परीक्षण, दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बारीकी से मूल्यांकन किया।

9. प्रकरण में यह सर्वमान्य स्थिति है कि प्रश्नगत रकबा प्रथम दृष्ट्या मूर्ति मंदिर का अवधारित होता है। उपलब्ध रेकार्ड यथा सेट्लमेंट की जमाबंदी सम्वत 2011 के अनुसार मालिक के कालम में मंदिर मूर्ति का नाम दर्ज है जबकि आसामी के कालम में वादी का नाम अंकित है तथा पुजारी के कालम में समस्त रोडवाल ब्राहमण झाडोल दर्ज है। आसामी शब्द को खडमदार तथा खातेदार माना जाये, इस बाबत माननीय उच्चतर न्यायालयों ने महत्वूपर्ण निर्णयों में इस मत की व्याख्या की है कि आसामी को खडमदार अथवा खातेदार मानने के बाबत कोई उल्लेख नहीं है। यहीं नहीं आसामी का केवल मात्र अर्थ यह है कि मंदिर की ओर से जिस व्यक्ति के द्वारा काश्त की जाती है केवल उसका नाम है। चूँकि प्रश्नगत रकबा सेट्लमेंट की जमाबंदी सम्वत 2011 के अनुसार मालिक के कालम में मंदिर मूर्ति का नाम दर्ज है, अतः भूमि मंदिर मूर्ति की होना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। अतः मंदिर मूर्तियों की भूमि के संबंध में निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत प्रासंगिक हैः–

–1984 आरआरडी पेज 01 में निम्न तीन बिन्दुओं पर अपना विनिश्चय दिया हैः–

(a) Idol- Minor- R.T.Act, Secs. 5(25) Proviso & 46 (1)(e)- Whether a deity is a minor for purpose of Sec. 46 and Proviso to Sec. 5 (25) or suffers from any mental or physical disability u/s 5(25) or incapable of cultivating land u/s 46 (1)(e)- Held deity is a minor for purpose of Sec 46(1)(a) and proviso to Sec. 5(25)- Question of infirmity and disabilities, not considered necessary to be examined since all minor enjoy protection u/s 46(1) (a).

(b) Raj. Tenancy Act. Ss. 46(1) & 16 (vi) - Whether khatedari rights can at all accrue in lands held for public purpose and lands of deities can be considered to be held for public purpose- Held, properties endowed for an idol, essentially for public purpose and/ or public utility unless temple, essentially private- AIR 1957 SC 133, followed- Hence khatedari rights cannot accrue in such lands.(c) Raj. Tenancy Act, Sec. 5 (25) Land cultivated personally- Lands in muafi of deity, cultivated by a person, not being a pujari or manager, not a member of their family, nor a hired labour or servant- Held such land, included in definition of 'land cultivated personally' in sec 5(25).

इसके अतिरिक्त 1994 आरआरडी पेज 01 रामप्रताप व अन्य बनाम राजस्व मण्डल में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने प्रतिपादित किया है किः–

> "(B) **Rajsthan Land Reforms & Resumption of Jagirs Act-** (a) Section 2(i) and sub-section (23) of Section 5 of the Rajasthan Tenancy Act- When there was no provision in the law or in the proforma for preparation of the land records for the entry of the word 'khudkasht', the entry of merely the name of the khatedar in the column provided therefor (without the word 'khuddasht') did not detract from the 'khudkasht' naure of the tenure.
>
> (b) Section 2(k)- Land cultivated personally - It is settled law that an idol is a perpetual minor and, therefore, it is not expected to cultivate the land personally and in such a case, the land shall be deemed to be cultivated personally even in the absence of such personal supervision."

प्रस्तुत मामले में न्यायिक दृष्टान्त 1984 आरआरडी पेज 01 एवं 1994 आरआरडी पेज 01 अवलोकनीय है, जिसमें प्रतिपादित किया गया है कि मूर्ति सदैव नाबालिग है तथा नाबालिग की भूमि पर जिसके द्वारा भी काश्त की जाती है, वह मूर्ति द्वारा ही "Land cultivated personally" ही मानी जाएगी। राजस्व मण्डल की वृह्द पीठ एवं माननीय राजस्थान उच्च

न्यायालय के निर्णय में यह प्रतिपादित किया गया है कि मंदिर मूर्ति की भूमि पर अगर कोई अन्य व्यक्ति काश्त करता है तो वह मंदिर मूर्ति के द्वारा ही काश्त किया जाना माना जाएगा। फलतः मूर्ति मंदिर उन अपवादित श्रेणियों में शामिल है जिन पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1) (म) के अन्तर्गत परिणित होने के कारण भूमिधारक या कृषक के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से बतौर उपकृषक राहिन के रूप में कृषि कराने के लिए लगाये गये प्रतिबंध लागू नहीं होते है। वैसे भी नाबालिग के व्यापक हितों की सुरक्षा का दायित्व न्यायालय का होता है। यहीं नहीं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 के तहत किसी भी व्यक्ति को मंदिर मूर्ति की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते है।

10. मंदिर का पुजारी, सेवक अथवा कर्त्ता किसी भी स्थिति में मंदिर की भूमि को सब–टीनेन्सी में देने का अधिकारी नहीं है। मंदिर की खुदकाश्त भूमि में जब मंदिर के पुजारी को कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है तो वह मंदिर की भूमि को अन्य व्यक्ति को सब–टीनेन्सी में देने का अधिकार नहीं रखता है और न ही उसे सब–टीनेन्सी में देने का सवाल उठता है। विधायिका की भावना के अनुसार किसी भी स्थिति में पुजारी की स्थिति एक किराये पर काश्त करने वाले की हैसियत से खातेदारी की नहीं होगी और खातेदार हर सूरत में मंदिर ही रहेगा। सारांशतः एक पुजारी की हैसियत मंदिर मूर्ति की ओर से सबायत का एक नौकर की है और उसको कोई अधिकार नहीं है कि वह मंदिर की जमीन को किसी भी व्यक्ति को सब–टीनेन्सी पर दे। इसके अतिरिक्त यहां यह भी उल्लेख करना समीचीन है कि मंदिर के पुजारी अथवा सेवक द्वारा काश्त के लिए दी गई भूमि पर मंदिर की असहमति के बाद प्रिंसीपल आफ टीनेन्द होल्डिंग ओवर लागू नहीं होगा और काश्तकार की हैसियत अतिक्रमी की होगी, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि मंदिर की खातेदारी की भूमि पर चाहे वह पुजारी अथवा सेवक द्वारा किसी भी व्यक्ति को काश्त के लिए दी गई है, उस पर मंदिर की असहमति के बाद उस काश्तकार की हैसियत अतिक्रमी की होगी और उस सूरत में उसके विरूद्ध बेदखली का दावा धारा 183 राजस्थान काश्तकारी

अधिनियम के तहत लाना होगा और वह किसी भी स्थिति में टीनेन्ट बाई होल्डिंग ओवर नहीं होगा और जब वो टीनेन्ट बाई होल्डिंग ओवर नहीं होगा तो उसके विरूद्ध धारा 180 (1) (बी) के तहत कोई बेदखली का दावा नहीं होगा और ऐसी स्थिति में धारा 180 (1) (बी) के तहत एक साल की मियाद होने या न होने का कोई प्रश्न नहीं रहेगा। प्रतिवादीगण द्वारा प्रश्नगत भूमि की काश्त मूर्ति के निमित है और वे कब्जाधारी नहीं है। मूर्ति की भूमि प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज नहीं की जा सकती है।

11. उपलब्ध रेकार्ड तथा ऊपर किए गए विवेचन व न्यायिक दृष्टान्तों के परिप्रेक्ष्य में हमारे द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय का विधिनुसार परीक्षण किया है तथा हम पाते है कि आक्षेपित निर्णय पारित करने में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा किसी विधि का उल्लंघन अथवा अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया जाना इंगित नहीं होता है। तदनुसार प्रस्तुत द्वितीय अपील सारहीन/बलहीन होना प्रकट होती है। स्थिति यह प्रकट होता है कि अपीलार्थीगण ने अपील मीमो में संगत आधार अभिवचित करने के कारण द्वितीय अपील के स्तर पर पर उन्हें किसी प्रकार का अनुतोष देय नहीं है।

12. उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह चारों अपीलें खारिज की जाकर भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11-06-2003 को यथावत बहाल रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार शर्मा)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य